2010:CGHC:11816

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

दांडिक अपील क्र. 1145/1994

सोमनाथ (मृत) एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 29/09/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

दांडिक अपील क्र. 1145/1994

अपीलार्थीगण 1 सोमनाथ पिता स्याम्बर कोरी, आयु 51 वर्ष, निवासी- दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग

(मृत- न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2010 द्वारा नाम हटाया गया)

2 श्रीमती सरस्वती बाई पिता सोमनाथ कोरी, आयु 19 वर्ष, निवासी- गांधी चौक, दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(अपील अंतर्गत धारा 374(2) दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थिति:

श्री डी.न.प्रजापति, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य।

निर्णय

(29.09.2010)

सुनील कुमार सिंह, न्यायमूर्ति।

1. यह अपील दिनांक 8 सितम्बर, 1994 को सत्र प्रकरण क्रमांक 23/94 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थिगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया है।

2. संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी क्र. 2 सरस्वती बाई पीड़ित कीर्तनलाल (अ.सा.-3) की दूसरी पत्नी है। वर्ष 1993 में कुछ विवाद होने के कारण अपीलकर्ता क्र. 2 ने पीड़ित का घर छोड़ दिया और वह अपने पिता (अपीलार्थी क्र.1) के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद पीड़ित अपीलकर्ताओं के घर जाना शुरू कर दिया। दिनांक 23.08.1993 को लगभग शाम 6:00 बजे पीड़ित अपीलकर्ताओं के घर गया, जहाँ उनके बीच कहासुनी हुई। आरोप यह है कि सबसे पहले अपीलार्थी क्र. 2 ने पीड़ित पर गर्म पानी डाला, और उसके पश्चात दोनों अपीलकर्ताओं ने पीड़ित पर गड़ासा एवं टांगी से प्रहार किए। पीड़ित को अनेक चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पीड़ित के कथन पर देहाती नलिशी (प्रदर्श-पी/6) दर्ज की गई। पीड़ित का परीक्षण डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-2) द्वारा किया गया, जिन्होंने कुल 12 बाह्य चोटें पाई, जिनमें गर्म पानी या अन्य पदार्थ से हुई ताज़ा जलन भी शामिल थी। डॉक्टर ने राय दी कि ये चोटें गंभीर प्रकृति की हैं। चोट का रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/2) है। दिनांक 13.09.1993 को पूछताछ किए जाने पर डॉक्टर ने यह

भी अभिमत दिया कि यदि प्राथमिक उपचार तुरंत न दिया जाता, तो इन चोटों के कारण मृत्यु संभव थी। प्रश्नोत्तर रिपोर्ट प्रदर्श-पी/3 है।

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने किर्तनलाल (अ.सा.-3) और डॉ. एस.सी. अग्रवाल (अ.सा.-2) के साक्ष्यों पर निर्भर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगणों ने पीड़ित पर प्राणघातक आघात करने का प्रयास किया, अतः वे भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

4. अपीलार्थी क्र.1 सोमनाथ की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। अतः अपीलार्थी क्र. 1 की ओर से दाखिल अपील को उप शमन हो जाने पर खारिज कर दिया गया और दिनांक 30.08.2010 के न्यायालय के आदेश अनुसार उसके नाम को अपील के वाद-शीर्षक से हटा दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दिनांक 21.09.2010 को पीड़ित—कीर्तनलाल (अ.सा.-3) तथा अपीलार्थी— सरस्वती बाई (अपीलार्थी क्र.–2) ने संयुक्त आवेदन (अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 2/2010) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत प्रस्तुत किया और यह निवेदन किया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है; अपीलार्थी वर्तमान में पीड़ित के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही है; उनके अब दो संतानें भी हैं, इसलिए उन्हें अपराध का शमन करने की अनुमति प्रदान की जाए और अपील का तदनुसार निपटारा किया जाए। अपीलार्थी क्र. 2 एवं पीड़ित द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 2/2010 के समर्थन में अपने-अपने हलफनामे भी प्रस्तुत किए गए हैं।

6. श्री डी. एन. प्रजापति, अपीलार्थी क्र. 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर यह तर्क किया की प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता

की धारा 307/34 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी क्र. 2 तथा पीड़िता काफी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं तथा उनकी वैवाहिक संबंध से दो संतानें भी हैं; पक्षकारों के बीच आपसी समझौता न्यायालय के बाहर ही हो चुका है; अपीलार्थी क्र. 2 लगभग 4 माह का कारावास भोग चुका है, अतः अपराध का शमन करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाए और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटारा कर दिया जाए।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित सुश्री सुनीता जैन, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

9. प्रथमतः, मैं यह परीक्षण करूंगा कि वास्तव में अपीलार्थीगणों के विरुद्ध कौनसा अपराध सिद्ध होता है।

10. किर्तनलाल (अ.सा.-3) ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपीलार्थीगणों के घर में बैठा हुआ था, तब अपीलार्थी क्र. 2 ने उस पर गरम पानी डाल दिया। इसके बाद उसके ससुर ने कहा कि वह स्नान कर के आ रहा है, परंतु वह गडासा लेकर आया और उसके सिर पर हमला कर दिया। वह अपने ससुर (अपीलार्थी क्र. 1) के गडासे को पकड़ लिया। उसी समय अपीलार्थी क्र. 2 ने उस पर टाँगिया से हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना में उसे कई चोटें आईं। किर्तनलाल का परीक्षण डॉ. एस.

सी. अग्रवाल (अ.सा.-2) द्वारा किया गया, जिन्होंने पीड़ित के शरीर पर 11 चोटें पाई, और सभी चोटें कटे-फटे घाव थे। अतः यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थीगणों ने गडासा या टाँगिया के धारदार हिस्से का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके भोथरे हिस्से से प्रहार किया। डॉक्टर ने चिकित्सीय प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/2) में मत व्यक्त किया कि पीड़ित को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। उन्होंने यह मत नहीं दिया कि ये चोटें जीवन के लिए घातक थीं या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारक हो सकती थीं। यह क्वेरी में उल्लेखित है कि डॉक्टर का मत था, यदि पीड़ित को तत्काल प्राथमिक उपचार न दिया जाता तो, उसे करीत चोटों के कारण मृत्यु संभव थी। पीड़ित 23.08.1993 से 30.08.1993 तक अस्पताल में भर्ती रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यह प्रावधान करती है कि जो कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में करेगा की यदि उस कार्य से मृत्यु हो जाती, तो वह हत्या का दोषी होता। उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आरोपी का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या के दंडनीय अपराध को स्थापित करने हेतु आवश्यक है।

12. **<u>हरि किशन एवं हरियाणा राज्य बनाम सुखबीर सिंह एवं अन्य, एआईआर 1988 एससी 2127</u>** में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि -"भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत, न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य (उसके परिणाम की परवाह किए बिना) क्या ऐसे आशय या ज्ञान के साथ किया गया था जो उस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो। जब तक यह तत्व स्थापित न हो, तब तक 'हत्या के प्रयास' का

अपराध नहीं कहा जा सकता। धारा 307 के अंतर्गत आशय अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य से पहले का होना चाहिए। अतः आशय का निर्धारण समस्त परिस्थितियों से किया जाना चाहिए, न कि केवल परिणामों से। आशय का निर्धारण करने के लिए जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, वे हैं — प्रयुक्त हथियार का स्वरूप, उसका उपयोग करने का तरीका, अपराध का हेतुक, प्रहार की तीव्रता, तथा शरीर के भाग जहाँ पर चोट पहुंचाई गई है, इत्यादि।"

13. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि अपीलार्थियों ने गदासा और टांगी का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन हथियारों के धारदार हिस्सों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल उनके भोथरे (blunt) हिस्सों से वार किया। कारित चोटें, यद्यपि संख्या में 11 थीं,— ऊपरी सतह की फटी हुई चोटें थीं। उन चोटों के अनुरूप कोई अस्थि भंग नहीं पाया गया। डॉक्टर ने यह राय दी कि चोटें गंभीर थीं, परंतु उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वे चोटें जीवन के लिए ख़तरनाक थीं या ऐसी थीं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं। इन सभी तथ्यों से यह दर्शित होता है कि पीड़ित और अपीलार्थियों के बीच पैसे की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान अपीलार्थियों ने पीड़ित को ये चोटें पहुँचाईं और उनका आशय या ज्ञान ऐसा नहीं था जिससे हत्या का अपराध सिद्ध हो सके। अतः, अपीलार्थियों का धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध होना उचित नहीं है, और उनके कृत्यों को धारा 326/34 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **<u>सुरेन्द्र नाथ मोहंती एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1999 एससी 2181</u>** के प्रकरण में, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 326, 325, 324 एवं 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत सिद्धदोष कर 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के दोषसिद्धि

को धारा 326, 325, 324 एवं 323 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में परिवर्तित किया तथा धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु **6** माह का कठोर कारावास एवं ₹1,000/- का जुर्माना तथा जुर्माने में व्यतिक्रम पर अतिरिक्त कारावास का दंड अधिरोपित किया। अन्य अपराधों के लिए पृथक सजा नहीं दी गई। यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में अपराध के शमन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में अपराधों के शमन के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, और विधायिका की मंशा के अनुसार उसमे विनिर्दिष्ट तालिका 1 या तालिका 2 में आच्छादित अपराधों को ही शमन किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के अधीन दण्डनीय अन्य अपराधों का शमन नहीं किया जा सकता। अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि पक्षकारों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हो चुका है, और घटना को 10 वर्ष बीत चुके हैं, तथा अधिरोपित दंड के अनुसार अपीलार्थियों ने पहले ही 3 माह की कारावास की अवधि पूरी कर ली है। इस पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया तथा अतिरिक्त रूप से ₹5,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **<u>जलीलुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2001, एआईआर एससीडब्ल्यू 2266</u>** में, अपीलार्थी एक चाकू से लैस था, जिससे उसने पीड़ित पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नाक की हड्डी टूट गई। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत सिद्धदोष किया गया। उसकी सज़ा को पूर्णतया बरकरार रखा गया। उसे 18 महीने के कठोर कारावास की सज़ा दी गई। अपील में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत एक आवेदन

प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया गया कि परिवादी और अपीलार्थी आपस में निकट संबंधी हैं और उन्होंने न्यायालय के बाहर आपसी समझौते से विवाद सुलझा लिया है। अतः यह प्रार्थना की गई कि अपराध को शमन करने की अनुमति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि धारा 326 के अंतर्गत अपराध शमनीय अपराध नहीं है, अतः इसका शमन नहीं किया जा सकता। हालाँकि, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए- विशेष रूप से यह कि घटना 24.12.1979 को एक तुच्छ विवाद के कारण हुई थी, परिवादी और अभियुक्त निकट संबंधी हैं तथा अब सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं- न्यायालय ने अपीलार्थी को दी गई सज़ा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान मामले में भी, अपीलार्थी क्र. 2 पीड़ित की पत्नी हैं। उन्होंने आपसी सहमति से विवाद का निपटारा न्यायालय के बाहर कर लिया है। वे लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। अपीलार्थी क्र. 2 के पीड़ित से दो संतानें हैं। यह घटना 23.8.93 को हुई थी और उसके बाद से काफी समय बीत चुका है। यह घटना एक मामूली कारण से हुई थी, अर्थात् अपीलार्थी क्र. 1 से पीड़ित द्वारा धन की माँग के कारण। अपीलार्थी क्र. 2 ने कुछ मतभेदों के कारण पीड़ित का साथ छोड़ दिया था और उस समय वह अपने पिता के साथ रह रही थी। अब अपीलार्थी क्र. 2 और पीड़ित ने अपराध के शमन के लिए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है और प्रार्थना की है कि इस मामले का निपटारा किया जाए।

17. उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, अपराध के शमन के लिए प्रस्तुत आवेदन (अंतर्वर्ती आवेदन क्र. 2/2010) को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 अपराधों के समझौते की पूर्ण योजना प्रदान करती है और

धारा 320(9) विशेष रूप से यह उपबंधित करती है कि इस धारा में उपबंधित के अतिरिक्त कोई भी अपराध का शमन नहीं किया जा सकता। अतः, उक्त शमन के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन क्र. 2/2010 अस्वीकृत की जाती है। हालाँकि, मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से यह तथ्य कि अपीलार्थी क्र. 1 की मृत्यु के पश्चात अब यह मामला केवल पति और पत्नी के मध्य रह गया है और वे शांतिपूर्वक रह रहे हैं, मुझे यह प्रतीत होता है कि यदि अपीलार्थी क्र. 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाए और उसे उस अवधि की सजा दी जाए जो उसने पहले ही कारावास में व्यतीत की है, जो इस मामले में लगभग चार माह है, तभी न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी क्र. 2 के विरुद्ध को धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उसे धारा 326/34 के अंतर्गत सिद्धदोष किया जाता है और दंड को उसे उसके द्वारा पहले से भुगते गए कारावास की अवधि (लगभग 4 महीने) तक सीमित किया जाता है। अपीलार्थी क्र. 2 जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और मुचलका को उन्मुक्त किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur